रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22082022-238255
CG-DL-E-22082022-238255

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 573] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 22, 2022/श्रावण 31, 1944
No. 573] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 22, 2022/SHRAVANA 31, 1944

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2022

सा.का.नि. 648(अ).—केंद्रीय सरकार, विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का ।) की धारा 52 की उपधारा (2) के खंड (ञ) और (थ) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा विधिक मापविज्ञान (पैकबंद वस्तुएं) नियम, 2011 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामत:-

1. (1) इन नियमों को विधिक मापविज्ञान (पैकबंद वस्तुएं) (तीसरा संशोधन) नियम, 2022 कहा जाएगा।

(2) ये 1 जनवरी 2023 से लागू होंगे।

2. विधिक मापविज्ञान (पैकबंद वस्तुएं) नियम, 2011 में, नियम 26 में, खंड '(ड.)' के पश्चात निम्नलिखित खंड अन्तर्विष्ट किया जाएगा, नामत:-

(च) वस्तुएं परिधान या होजरी होने के नाते प्वाइंट ऑफ सेल पर खुले या मुक्त रूप से इस प्रकार से विक्रय किये जाएं कि उपभोक्ता खरीदारी करने से पहले उत्पादों का निरीक्षण कर सके:

परन्तु यह कि ऐसे उत्पादों में निम्नलिखित विवरण होंगे, अर्थात:-

(i) आयात किए गए उत्पादों के मामले में मूल देश या विनिर्माण के देश के साथ विनिर्माता या विपणक या ब्रांड के मालिक या आयातक का नाम और पता;

(ii) कन्ज्यूमर केयर ई-मेल आईडी और फोन नंबर;

(iii) सेमी या मी के रूप में मीट्रिक अंकन में विवरण, जैसा भी मामला हो, के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचाने जाने योग्य आकार संकेतकों जैसे कि S, M, L, XL, XXL और XXXL के साथ आकार।

(iv) भारतीय मुद्रा में सभी करों सहित पैकेज का अधिकतम खुदरा मूल्य;

बशर्ते यह भी कि यदि बिक्री ई-कॉमर्स के माध्यम से की जाती है तो उपर्युक्त सूचना को ई-कॉमर्स वेबवसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

बशर्ते यह भी कि कोई विनिर्माता, या पैककर्ता या आयातक इस खंड के आरंभ होने की तिथि के होते हुए भी तत्काल प्रभाव से उपर्युक्त सूचना की घोषणा कर सकता है।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-10/25/2022]

अनुपम मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 202 (अ) तारीख 7 मार्च, 2011 में प्रकाशित किए गए थे और 14 जुलाई 2022 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 577(अ) द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2022

G.S.R. 648(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (j) and (q) of sub-section (2) of section 52 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011, namely:-

1. (1) These rules may be called the Legal Metrology (Packaged Commodities) (Third Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on 1st January, 2023.

2. In the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011, in rule 26, after clause (e), the following clause shall be inserted, namely:-

"(f) such commodities being a garment or hosiery is sold in loose or open at the point of sale in such manner that the consumer can inspect the products before buying:

Provided that such product shall bear the following details, namely:-

(i) name and address of the manufacturer or marketer or brand owner or importer with country of origin or manufacture in case of imported products;

(ii) consumer care email id and phone number;

(iii) sizes with internationally recognizable size indicators such as S, M, L, XL, XXL and XXXL along with details in metric notation in terms of cm or m, as the case may be;

(iv) maximum retail price of the package inclusive of all taxes in Indian currency:

Provided further that the exemption under this clause shall apply to sale of finished products alone:

Provided also that the above information shall be displayed on e-commerce website if such product is sold through e-commerce:

Provided also that any manufacturer or packer or importer may, notwithstanding the date of commencement of this clause, declare the above information with immediate effect.".

[F. No. WM-10/25/2022]

ANUPAM MISHRA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 202(E), dated the 7th March, 2011 and was last amended *vide* number G.S.R. 577(E), dated the 14th July, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.08.22 22:23:42 +05'30'